

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 385
24 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

पीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन

385. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत खाद्यान्नों के अतिरिक्त आवंटन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार की पीडीएस के अंतर्गत श्रीअन्न के उपभोग को बढ़ावा देने की कोई योजना है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ड.) क्या सरकार की पीडीएस के अंतर्गत राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन बढ़ाने की कोई योजना है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): कर्नाटक की राज्य सरकार ने पहले ही अनुमेय सीमा तक लाभार्थियों की पहचान कर ली है और अपना अपेक्षित कवरेज का 100% प्राप्त किया। वर्तमान में, इस संबंध में कर्नाटक की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ): मिलेट्स (श्री अन्न), जिसे आमतौर पर पोषक-अनाज के रूप में जाना जाता है, पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का हिस्सा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार मिलेट्स (श्री अन्न) आवंटित किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा वितरण के लिए मिलेट्स (श्री अन्न) की स्वीकृत मात्रा का आवंटन, गेहूं / चावल की समान मात्रा के बदले में किया जाता है, गेहूं / चावल की समान मात्रा के स्थान पर यह

...2/-

सुनिश्चित किया जाएगा कि चावल, गेहूं और मिलेट्स (श्री अन्न) की कुल मात्रा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में निर्धारित ऊपरी सीमा के भीतर हो। 1 जनवरी 2023 से, उपरोक्त आवंटन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत निःशुल्क किया जा रहा है। 2021-22 से अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मिलेट्स (श्री अन्न)/मोटे अनाज के आवंटन का विवरण **अनुबंध-1** पर संलग्न है।

स्थानीय उपभोग प्राथमिकताओं के अनुसरण में और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिलेट्स (श्री अन्न) खरीदने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लाभार्थियों को वितरित करने के लिए एक परामर्शिका (एडवाइज़री) जारी की गई है।

(ड) और (च): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति माह लगभग 46.235 लाख टन खाद्यान्न (लगभग 554.83 लाख टन प्रति वर्ष) आवंटित किया जा रहा है। वर्तमान में, एनएफएसए के अंतर्गत 81.35 करोड़ लाभार्थियों की कवरेज सीमा के सम्मुख राज्य सरकारों ने 80.54 करोड़ लाभार्थियों की पहचान की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवश्यकतानुसार लाभार्थियों को जोड़ना और हटाना एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत शेष लाभार्थियों की पहचान होने पर, खाद्यान्नों के आवंटन में नियमित रूप से संशोधन किया जाता है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 24.07.2024 को उत्तरार्ध अतारांकित प्रश्न संख्या 385 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

हजार टन में

वर्ष	राज्य	अनाज का प्रकार	मात्रा	योग	सकल योग
2021-22	कर्नाटक	रागी	556.101	558.864	560.845
	उत्तर प्रदेश	मक्का	2.763		
	ओडिब्ल्यूएस - डब्ल्यूबीएनपी	बाजरा	1.981	1.981	
2022-23	कर्नाटक	रागी/ज्वार	470.292	583.834	585.528
	हरियाणा	बाजरा/मक्का	67.500		
	मध्य प्रदेश	ज्वार	0.237		
	उत्तर प्रदेश	बाजरा	43.443		
	केरल	रागी	0.991		
	तमिलनाडु	रागी	1.371		
	ओडिब्ल्यूएस - डब्ल्यूबीएनपी	बाजरा	1.694	1.694	
2023-24	आंध्र प्रदेश	रागी	27.516	1232.619	1232.619
	गुजरात	ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का	128.138		
	हरियाणा	बाजरा	136.000		
	कर्नाटक	रागी	700.000		
	केरल	रागी	0.517		
	तमिलनाडु	रागी	5.181		
	उत्तर प्रदेश	बाजरा	235.267		
2024-25 (19.07.2024 तक की स्थिति के अनुसार)	हरियाणा	बाजरा	14.000	157.653	171.198
	तमिलनाडु	रागी	6.090		
	उत्तर प्रदेश	बाजरा	137.563		
	ओडिब्ल्यूएस - डब्ल्यूबीएनपी	ज्वार, बाजरा	13.200	13.545	
	ओडिब्ल्यूएस - एसएजी	ज्वार, बाजरा	0.345		
